दिनांक 14.02.2025
प्रेस विज्ञप्ति 16/2025

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

जनपद रामपुर/थाना सैफनी

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये व मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांकः 14.02.2025 को थाना सैफनी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बडागॉव चौराहे से दिव्या नंगला की तरफ जाने वाली सड़क के पास बदमाश की घेराबंदी की गयी तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त प्रेमपाल उर्फ गब्बर घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये व मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुये। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध जनपद सम्भल, मुरादाबाद के विभिन्न थानों पर लूट, हत्या, आर्म्स एक्ट, आबकारी एक्ट के कई अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना सैफनी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना सैफनी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1– प्रेमपाल उर्फ गब्बर निवासी ग्राम रीठ थाना कुढफतेहगढ जनपद सम्भल।

बरामदगी

1–नगद रूपये व मोबाइल फोन।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना दादरी

- **25 हजार रूपये पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद**

दिनांक 14.02.2025 को थाना दादरी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर स्वाद सदन ढाबा पेरीफेरल के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त सलमान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, जनपद मेरठ, हापुड़ के विभिन्न थानों पर लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 01 दर्जन अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना दादरी पर पंजीकृत गैंगेस्टर एक्ट के अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु कमिश्नरेट स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना दादरी पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सलमान निवासी ग्राम जसौरा थाना मुंडाली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1–01 अवैध तमंचा 315 बोर।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना बिसरख

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 27 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण**
- **चोरी के 19 हजार 900 रूपये नगद आदि बरामद**

दिनांक 14.02.2025 को थाना बिसरख व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर चिपयाना के पास से 04 अभियुक्तों 1–अकबर 2–मोमीन

3–अमन 4–सलमान को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 27 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण, चोरी के 19 हजार 900 रूपये नगद आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 08.01.2025 को थाना बिसरख क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरों द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में थाना बिसरख पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया चोरी की घटनाओं से संबंधित है।

इस सम्बन्ध मे थाना बिसरख पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–अकबर निवासी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

2–मोमीन निवासी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

3–अमन निवासी डासना थाना वेवसिटी कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–सलमान निवासी कस्बा व थाना दादरी कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर।

बरामदगी

1–लगभग 27 लाख रूपये कीमत की चोरी के सोने–चॉदी के आभूषण

2–चोरी के 19 हजार 900 रूपये नगद आदि

जनपद मऊ/थाना कोतवाली नगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 20 लाख 64 हजार रूपये कीमत के चोरी का माल बरामद**

दिनांक 13/14.02.2025 को थाना कोतवाली नगर व थाना दक्षिण टोला की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बन्धा रोड नवापुरा के पास से अभियुक्त होजैफा नसीम को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त की निशादेही पर ढेकुलिया घाट के पास से अभियुक्त साहब अहमद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 20 लाख 64 हजार रूपये कीमत के चोरी का माल बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके सम्बन्ध में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद माल चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—होजैफा नसीम निवासी कासिमपुरा थाना कोतवाली नगर जनपद मऊ।

2—साहब अहमद निवासी डोमनपुरा थाना दक्षिण टोला जनपद मऊ।

बरामदगी

1— लगभग 20 लाख 64 हजार रूपये कीमत के चोरी का माल।

कमिश्नरेट गाजियाबाद/थाना मुरादनगर

- **पुलिस कार्यवाही में 05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **नगद रूपये, रोकड बही**
- **04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांकः 14.02.2025 को थाना मुरादनगर व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर मुरादनगर कस्बा के पास चेकिंग के दौरान बदमाशों को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाशों ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गयी आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त 1—शारूख 2—अभिषेक 3—नदीम 4—शिवांश घायल हो गये, जिन्हें अभियुक्त 5—हरीश सहित गिरफ्तार किया गया तथा एक अभियुक्त मौके से फरार हो गया, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे है। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से नगद रूपये, रोकड बही, 04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये। घायलों को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 13.02.2025 की रात्रि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा कारित की गयी घटना के सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्त उक्त घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मुरादनगर पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—शारूख निवासी टीला सहबाजपुर थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

2—अभिषेक निवासी सहबाजपुर थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

3—नदीम निवासी टोली मोहल्ला लोनी थाना लोनी, गाजियाबाद।

4—शिवांश निवासी 18ए हर्ष विहार दिल्ली मूल पता ऊंचा मोहल्ला कैसेरूखेरा थाना लाल कुर्ती मेरठ।

5—हरीश निवासी कृष्णा विहार थाना लोनी बार्डर, गाजियाबाद।

बरामदगी

1—नगद रूपये, रोकड बही।

2—04 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3—02 मोटर साइकिल आदि।

जनपद इटावा/थाना कोतवाली

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के सोने चॉदी के आभूषण**
- **03 हजार 500 रूपये नगद**
- **चोरी के 02 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांकः 13/14.02.2025 को थाना कोतवाली पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर भोला सैय्यद मजार के पास से 04 अभियुक्तों 1—भारत 2—गौरव 3—आसिफ उर्फ

तोता 4–पिन्टू को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी के सोने चॉदी के आभूषण, 03 हजार 500 रूपये नगद, चोरी के 02 मोटर साइकिल आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 09.02.2025 को थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गयी थी, जिसके संबंध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, मोटर साइकिल आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी है, जिसमें अभियुक्त गौरव के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट, एनडीपीएस एक्ट आदि के 18 अभियोग, अभियुक्त पिन्टू के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों में हत्या, चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग, अभियुक्त भारत के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों में चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त आसिफ उर्फ तोता के विरूद्ध जनपद इटावा के विभिन्न थानों में हत्या का प्रयास चोरी, आबकारी एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 07 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना कोतवाली पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–भारत निवासी शिवा कालोनी रामनगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

2–गौरव निवासी छपरौला थाना बादलपुर कमिश्नरेट गाजियाबाद हाल पता शिवा कालोनी रामनगर थाना फ्रेण्डस कालोनी जनपद इटावा।

3–आसिफ उर्फ तोता निवासी गाड़ीपुरा थाना कोतवाली जनपद इटावा।

4–पिन्टू निवासी रामनगर बुआपुर थाना इकदिल जनपद इटावा।

बरामदगी

1–चोरी के सोने चॉदी के आभूषण

2–03 हजार 500 रूपये नगद

3–चोरी के 02 मोटर साइकिल आदि

जनपद अमेठी/थाना मोहनगंज

- **अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर**
- **02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 07 अर्धनिर्मित नाल**
- **अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद**

दिनांक 14.02.2025 को थाना मोहनगंज पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर उसरी से फूला मार्ग पर बाग में बनी कोठरी से अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित कर रहे 04 अभियुक्तों 1–राघवेन्द्र 2–महेश कुमार 3–पंकज कुमार उर्फ राजू 4–अंकित उर्फ संतोष को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से 06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर, 02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 07 अर्धनिर्मित नाल, अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि बरामद हुये।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त पंकज कुमार उर्फ राजू शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद अमेठी के विभिन्न थानों में हत्या, हत्या का प्रयास, लूट, धोखाधडी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 11 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मोहनगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–राघवेन्द्र निवासी रायपुर टोडी थाना नसीराबाद जनपद रायबरेली।

2–महेश कुमार निवासी सुब्बा का पुरवा थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

3–पंकज कुमार उर्फ राजू निवासी कनपुरिया थाना जगदीशपुर जनपद अमेठी।

4–अंकित उर्फ संतोष निवासी खानापुर चपरा थाना मोहनगंज जनपद अमेठी।

बरामदगी

1–06 निर्मित/अर्द्धनिर्मित अवैध तमंचा विभिन्न बोर

2–02 जीवित कारतूस विभिन्न बोर, 07 अर्धनिर्मित नाल

3–अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण व पुर्जे आदि

जनपद कुशीनगर/थाना रामकोला

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **धोखाधडी के 1 लाख 12 हजार रूपये नगद**
- **03 लैपटाप, 06 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 26 फर्जी आधार कार्ड**
- **घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 14.02.2025 को थाना रामकोला व साइबर सेल की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर 04 अभियुक्तों 1–संदीप 2–मयंक 3–सन्नी 4–विकास कुमार को गिरफ्तार किया गया एवं एक बाल अपचारी को पुलिस संरक्षण में लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से धोखाधडी के 1 लाख 12 हजार रूपये नगद 03 लैपटाप, 06 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 26 फर्जी आधार कार्ड, घटना में प्रयुक्त 01 चारपहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुये।

इस सम्बन्ध में थाना रामकोला पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–संदीप निवासी ग्राम परोरहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

2–मयंक निवासी ग्राम उर्दहा थाना रामकोला कुशीनगर।

3–सन्नी निवासी ग्राम परोरहा थाना रामकोला जनपद कुशीनगर।

4–विकास कुमार निवासी ग्राम उर्दहा थाना रामकोला कुशीनगर।

बरामदगी

1–धोखाधडी के 1 लाख 12 हजार रूपये नगद।

2–03 लैपटाप, 06 मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड, 12 सिम कार्ड, 26 फर्जी आधार कार्ड।

3–घटना में प्रयुक्त 01 चार पहिया वाहन, 01 दो पहिया वाहन आदि।

- **<u>जनपद बाराबंकी/थाना बड्डूपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद बाराबंकी पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद बाराबंकी द्वारा थाना बड्डूपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त अजयपाल को आजीवन कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **<u>जनपद गोरखपुर/थाना तिवारीपुर (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 10 वर्ष का कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड)</u>**

जनपद गोरखपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद गोरखपुर द्वारा थाना तिवारीपुर पर पंजीकृत अभियोग में धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अन्तर्गत अभियुक्त सलमान को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 20 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

<u>एस0टी0एफ0–हत्या की घटना में जनपद–जौनपुर से रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज यादव उर्फ मोनू गिरफ्तार।</u>

दिनांक 14–02–2025 को एस0टी0एफ0 उत्तर प्रदेश को हत्या की घटना में थाना सिकरारा जनपद जौनपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2024 धारा 120बी, 34, 302 भादवि में वांछित रू0 1,00,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज यादव उर्फ मोनू को थाना क्षेत्र सिकरारा, जौनपुर से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः–</u>

1– नीरज यादव उर्फ मोनू पुत्र गिरजाषंकर यादव, निवासी कलवारी, थाना सिकरारा, जौनपुर।

<u>बरामदगीः–</u>

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 अदद आधार कार्ड।

3– 1150/– रू0 नकद।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समयः</u>

सिकरारा चौराहे से कलवारी रोड पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय थानाक्षेत्र सिकरारा जनपद जौनपुर। दिनांक 14–02–2025 समय 08.05 बजे।

एस0टी0एफ0 उ0प्र0 को विगत काफी दिनों से फरार पुरस्कार घोषित अपराधियों के सक्रिय होने की सूचना प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देष के क्रम में श्री संजीव कुमार दीक्षित, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में टीम गठित कर अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

अभिसूचना संकलन के क्रम में निरीक्षक श्री ओमषंकर शुक्ला, उ0नि0 प्रताप नारायण सिंह, उ0नि0 श्री विनोद कुमार सिंह, मुख्य आरक्षी सरोज अवस्थी, मुकेष प्रजापति व आरक्षी चालक कुमदेष की टीम जनपद जौनपुर में मौजूद थी, इस दौरान मुखबिर के माध्यम से ज्ञात हुआ कि थाना सिकरारा में पंजीकृत मु0अ0सं0 55/2024 में वांछित 01 लाख रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीरज यादव उर्फ मोनू, सिकरारा चौराहे के पास मौजूद है। इस सूचना पर विश्वास कर एसटीएफ टीम द्वारा वांछित अभियुक्त नीरज यादव को कलवारी रोड पर स्थित यात्री प्रतिक्षालय थानाक्षेत्र सिकरारा के पास से गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

पूछताछ में अभियुक्त नीरज यादव उर्फ मोनू ने बताया कि दिनांक 07–03–2024 की सुबह लगभग 10.00 बजे प्रमोद कुमार पुत्र स्व0 राजबली यादव निवासी ग्राम सीठापुर थानाक्षेत्र सिकरारा जनपद जौनपुर अपनी कार द्वारा जौनपुर जा रहे थे। इसी दौरान वह अपने साथी विजय व 02 अन्य के साथ मिलकर प्रमोद की गोली मारकर हत्या कर दिया था।

कुंवर चन्द्र गुप्ता की सिकरारा में गल्ले की दुकान है। दिनांक 25–07–2024 को रात्रि में वह अपने साथियों के साथ मिलकर कुवर चन्द्र गुप्ता पर जान से मारने की नियत से फायर किया था। लेकिन गोली उसे न लगकर पिकप गाड़ी में लग गयी थी। दिनांक 27–07–2024 को फोन करके कुंवर चन्द्र गुप्ता से 50 लाख रूपये की फिरौती

की मॉग किया था। फिरौती न देने पर उसके दोनों लड़को को जान से मारने की धमकी दिया था। इस घटना के बाद मुम्बई, बिहार आदि शहरों मे अपने रिष्तेदारों के घर पर छुपकर रहने लगा था।

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज यादव को मु0अ0सं0 55/2024 धारा 302, 34, 120बी भादवि थाना सिकरारा, जनपद जौनपुर में दाखिल किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जाएगी।

अभियुक्त नीरज यादव उर्फ मोनू उपरोक्त का ज्ञात आपराधिक इतिहासः

क0सं0	मु0अ0सं0	धारा	थाना	जनपद
1	207/2020	188, 223, 341, 504, 506 भादवि	सिकरारा	जौनपुर
2	146/2022	8/20 एनडीपीएस एक्ट	सिकरारा	जौनपुर
3	147/2022	3/25 आर्म्स एक्ट	सिकरारा	जौनपुर
4	212/2023	504, 506 भादवि	सिकरारा	जौनपुर
5	55/2024	120बी, 34, 302 भादवि	सिकरारा	जौनपुर
6	196/2024	109, 62(2) बीएनएस	सिकरारा	जौनपुर
7	198/2024	308(5), 61(2) बीएनएस	सिकरारा	जौनपुर

———————